प्रकरण संख्या 8/2023 मनोहरसिंह बनाम देवीसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खसरा नंबर 578 से 580 कुल किता 3 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम नीमझर, तहसील देवगढ़ में स्थित है, जिसमें आने–जाने हेतु रास्ता प्रार्थीगण के घर से एक बरसाती नाले के किनारे–किनारे खसरा नंबर 431 होर एक नदी खसरा नंबर 518/1 से होकर खसरा नंबर 529 की पाली पर होते हुए खसरा नंबर 532 कुंए के पास से खसरा नंबर 531 के किनारे से होकर खसरा नंबर 584 की पाल से होते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी नंबर 578 में प्रवेश करते हैं। उक्त आराजी नंबर 529, 531, 583 व 584 के खातेदार श्री फतेहसिंह पिता केसरसिंह हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आने जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग अपने बाप–दादा के समय से करीब 100 वर्षो से करता चला आ रहा है, किन्तु विपक्षी श्री फतेहसिंह ने 2 माह पूर्व प्रार्थीगण के रास्ते में गहरी खाई खोदकर रास्ता बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपनी भूमि पर काश्त हेतु नहीं जा पा रहे हैं। अतः विपक्षी की आराजी नंबर 529, 531, 583 व 584 से आने–जाने हेतु 15 फिट रास्ता दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज करायी जाकर कब्जा सिपुर्द किया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि अदा करने को तैयार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार देवगढ़ की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.03.2023 को निर्णय पारित करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 05.07.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री विनीश चन्द्र पुरोहित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:41 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह देवड़ा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट दिनांक 24.06.2023 को जब अपने अधिवक्ता से मिले जब उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि करीब 100 वर्षो से ग्रामवासी अपने मवेशियों को खसरा नंबर 724 की पाली से होते हुए 731 की पाली के पास होकर 806 की पाली पर होकर खसरा नंबर 805 में आते–जाते थे, जो कि ये सारे नंबर प्रत्यर्थीगण के परिवार व रिश्तेदारों के ही हैं, किन्तु अब ये जबरन अपीलान्ट की भूमि से रास्ता निकालना चाहते हैं, जिसका इन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थीगण ने योजनाबद्ध तरीके से रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि रास्ते ग्राम पंचायत द्वारा भी सुथार करने का प्रयास किया गया, परन्तु प्रत्यर्थीगण यह कहते हैं कि मनोहरसिंह की जमीन का एरिया बहुत लम्बा है और इसमें से ही रास्ता लेंगे। मनोहरसिंह की जमीन दो भागों में बंट जाने से अपनी जमीन पर चारदीवारी भी नहीं बना पायेगा और औने–पौने दामों में जमीन हमें बेच देगा। इसी मंशा से उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने समझे बिना ही आराजी नंबर 521 जो नाला है, इस नाले से अपीलान्ट की आराजी नंबर 529, 531 व 583/1 से रास्ता दिया गया है, जो किसी भी मुख्य सड़क से नहीं मिलता है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक [illegible] [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:41 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है, उसमें पानी भरा है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उसमें अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं तथा न्यूनतम दूरी का रास्ता है अथवा नहीं एवं प्रस्तावित रास्ता रोड़ से जुड़ता है अथवा नहीं इस बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं दी है, जबकि 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मामले में इन तीनों बिन्दुओं पर रिपोर्ट दी जानी आवश्यक है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह किसी मेन रास्ते से न जुड़कर नाले जुड़ता है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने भी वक्त बहस निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है, उसमें पानी भरा है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 107/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार देवगढ़ से मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:41 IST
Reason: SelfAttested